

श्री नीतीश मिश्रा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न  
संख्या-18/2/5 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत पथ प्रमंडल, झंझारपुर के द्वारा नेंगरा चौक-अदलपुर-पिपराघाट पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य एवं इसी के निकट बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कमला बलान नदी पर एक उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का भी निर्माण कराया जा रहा है, परन्तु उक्त पथ एवं निर्माणाधीन पुल के मध्य नदी के पूर्वी तटबंध पर लगभग 900 मीटर तटबंध का चौड़ीकरण नहीं होने से आमलोगों को आवागमन में ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है, यदि हाँ तो, सरकार नेंगरा चौक-अदलपुर-पिपराघाट पथ एवं कमला नदी पर निर्माणाधीन पुल के मध्य 900 मीटर तटबंध पथ का कब तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य करने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि कमला बलान पूर्वी तटबंध के कि० मी० 27.10 से कि० मी० 66.30 तक मानक के अनुरूप 5.0 मी० की चौड़ाई में तटबंध तथा उसपर 3.75 मी० की चौड़ाई में बिटूमिनस सड़क निर्मित है। जिसमें प्रश्रगत प्रभाग शामिल है। तटबंध पर सड़क निर्माण मुख्यतः बाढ़ अवधि के दौरान निरीक्षण एवं विभागीय सामग्रियों के ढुलाई हेतु किया जाता है। प्रश्रगत नेंगरा चौक-अदलपुर-पिपराघाट पथ का चौड़ीकरण एवं कमला बलान नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य पथ निर्माण विभाग से संबंधित है। अतः तटबंध पर निर्मित सड़क का चौड़ीकरण पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना उचित होगा। जिसके लिए संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किये जाने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।</p>

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि०स०प्र०(सम०)-05-32/2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-18/2/5 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(सम0)-05-32 / 2026-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(सम0)-05-32 / 2026-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25 / वि0स0प्र0(सम0)-05-32 / 2026-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1007

पटना, दिनांक- 25/02/2026

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव